मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 30, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 112 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे। रीवा नगर निगम में सफाई एवं निर्माण संबंधी भ्रष्टाचार विषयक श्री बालाराम बच्चन, सदस्य ने प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2490) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए तथा सभापति महोदया के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए।

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुई।

2. अध्यक्षीय घोषणा

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा कल नरसिंहगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के मध्य मारपीट की घटना के संबंध में दी गई ध्यानाकर्षण/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर आसंदी से तत्काल चर्चा कराने की मांग की गई इस दौरान, कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण गर्भगृह में आए। व्यवधान एवं शोरगुल के कारण, सभापति महोदया द्वारा कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 11.40 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.54 बजे पुन: समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कराने सम्बन्धी घोषणा की गई।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, तद्नुसार निम्नलिखित सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की बेरचा नागदा मार्ग खराब होना,
(2) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा का समय विवरण बदला जाना,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्रामों में चिकित्सकों का न होना,
(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड की बैसली नदी पर बांध की ऊंचाई बढ़ाना,
(5) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सेमरिया में टमस नदी पर स्टाप डेम का निर्माण न होना,
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ - ललितपुर राजमार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त होना,
(7) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की अशोक नगर जिले के प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता न दी जाना,
(8) श्री मोती कश्यप, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पोस्ट शाहपुर के टिकरी टोला में हैण्डपंप खराब होना,
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर जिले में पार्कों की दयनीय स्थिति होना,
(10) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर जले होना,
(11) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की कटनी के माधव नगर में खनिज उत्खनन से घरों को क्षति होना,
(12) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में फर्जी आंगनवाड़ी संचालित होना,
(13) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की मंदसौर जिले के सुवासरा में पदस्थ शिक्षक द्वारा स्वयं का विद्यालय संचालित करने,
(14) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इंदौर संभाग के महाविद्यालयों को मान्यता न मिलने के कारण बन्द होना तथा
(15) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के अध्यापकों की पदोन्नति में नियमों की अवहेलना होना

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 6 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने सीहोर जिले के बुधनी तहसील अन्तर्गत स्पिनिंग मिल निर्माण हेतु सिंचित भूमि का अधिग्रहण करने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह तथा पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में नियमों की अनदेखी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनसम्पर्क मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री रामनिवास रावत तथा ब्रजराज सिंह, सदस्यगण ने श्योपुर जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने डिण्डोरी में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण न होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री श्रीकांत दुबे तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने पन्ना टाईगर रिजर्व के वन कर्मियों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 1.00 से 3.05 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य की दतिया जिले के ग्राम लिलवारी रौरा कंजोरी टोड़ा स्थित सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा की आवश्यकता न होने संबंधी घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, घोषणा की गई कि श्री विश्वास सारंग (नरेला), सदस्य द्वारा विधान सभा के वर्तमान सत्र जुलाई, 2011 की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई थी किन्तु वे सदन में उपस्थित हो गये है, इस कारण अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति ने शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की हैः-

अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-1)	श्री रामलल्लू वैश्य	15 मिनट
2. (क्रमांक-4)	श्री विश्वास सारंग	30 मिनट
3. (क्रमांक-6)	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर	35 मिनट
4. (क्रमांक-22)	श्री के.पी. सिंह	35 मिनट
5. (क्रमांक-30)	डॉ. कल्पना परूलेकर	35 मिनट

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम बराठिया से कल्लोन के बीच पुल निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम भरजुना के शासकीय हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम देवरी के शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(घ) ग्राम कोठी में महाविद्यालय खोले जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मुड़ैनी से रोगटा तक मार्ग एवं पुलिया निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम देवना से बजरंगगढ़ तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम जीरोन से सिमरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम जेरोन की सड़कें एवं नालियों के निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम तातारपुरा से अनुसूचित जाति बस्ती तक सड़कें एवं नालियों का निर्माण किये जाने, तथा

(च) ग्राम डिरगुवा की सड़कों के निर्माण किये जाने,

(3) डॉ. श्रीमती विनोद पंथी, सदस्य की सागर जिले के -

(क) बीना नगर के मार्गों का पुनर्निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बीरमखेड़ी के मार्ग निर्माण किये जाने,

(ग) बीना शहर में स्थापित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम महापुरुष के नाम से किये जाने,

(घ) बीना शहर में स्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 का नाम महापुरुष के नाम से किये जाने,तथा

(ङ) ग्राम करौदा, बिहरना आदि में पेय जल व्यवस्था किये जाने,

(4) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम खरपटा से धनिगवां के बीच पुल निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम हरदोली आदि ग्रामों में ट्यूबवेल खनन किये जाने,

(ग) ग्राम बरेहीकला, भूमन आदि ग्रामों के हाईस्कूलों के उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम सेमरिया के वार्ड क्रमांक-15 में विद्युत व्यवस्था किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम कोलोरा के हैण्डपंप की मरम्मत कराये जाने,

(5) श्री राव राजकुमार सिंह यादव (महुअन), सदस्य की अशोक नगर जिले के -

(क) तहसील ईशागढ़ में उप कोषालय खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम नईसराय को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(6) श्री रोडमल राठौर, सदस्य की उज्जैन जिले के तराना नगर से बरखेड़ा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(7) श्री जेवियर मेड़ा, सदस्य की भोपाल शहर के तुलसी नगर के शासकीय आवासों की मरम्मत कराये जाने,तथा

(8) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम नारायणधारा की प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

9. अध्यक्षीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि कार्यसूची के शीर्षक - "शासकीय विधि विषयक कार्य" के क्रमांक (5) पर अंकित "मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011" को अध्यक्ष महोदय द्वारा, वित्त मंत्री के अनुरोध पर क्रमांक (3) पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

(2) श्री रामनिवास रावत

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(6) श्री रामनिवास रावत
(7) श्री अभय कुमार मिश्रा
(8) श्री बृजराज सिंह
(9) श्री मोती कश्यप
(10) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा
(11) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(12) राव देशराज सिंह यादव
(13) श्री राधेश्याम पाटीदार
(14) श्री रामलखन सिंह
(15) श्री गोपाल भार्गव, पंतायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह
(4) श्रीमती ललिता यादव
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(7) श्री रामदयाल अहिरवार
(8) श्री गोपाल भार्गव, पंतायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री

श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर की स्थापना के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अपराह्न 6.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 31, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 जुलाई, 2011